झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–64 / 2020

कुलदीप जयसवाल उर्फ कुलदीप जायसवाल उर्फ कुलदीप कुमार जायसवाल

.... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री रितेश कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: श्री पी0डी0 अग्रवाल, विशेष पी0पी0।

2 / 15.01.2020 श्री रितेश कुमार, याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री पी0डी0 अग्रवाल, राज्य के लिए विशेष पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता, घाघरा थाना काण्ड संख्या 86 / 2018 के अनुरूप जी0आर0 (Spt-II) वाद संख्या 728 / 2018 के संबंध में एक आरोपी है।

यह आरोप लगाया गया है कि सूचक के बेटे को सोनू उरांव और अन्य लोग ले गये थे। उनके बेटे का शव बाद में बरामद किया गया।

याचिकाकर्त्ता को सोनू उरांव के कबूलनामे पर फंसाया गया लगता है, जिन्हें पहले ही 2019 के बी0ए0 संख्या 3061 / 2019 में इस अदालत द्वारा जमानत दे दी गई

है। प्रशांत चौबे उर्फ बॉबी चौबे और नितेश जायसवाल उर्फ नितेश कुमार जायसवाल उर्फ शिवम राज जैसे कई अन्य सह–आरोपी व्यक्तियों को भी बी0ए0 संख्या 7209/2019 और बी0ए0 संख्या 9082/2019 में इस न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है। यह आगे प्रतीत होता है कि मंटू खान उर्फ शेरू अंसारी ने भी स्वीकार किया और याचिकाकर्त्ता का नाम लिया। इसलिए याचिकाकर्त्ता को केवल संदेह पर फंसाया गया प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्य और समान रूप से स्थित सह–अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान करने के संदर्भ में उपरोक्त याचिकाकर्त्ता को दस हजार के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, गुमला की संतुष्टि पर घाघरा थाना काण्ड संख्या 86/2018, तद्नुसार जी0आर0 (Spt-II) वाद संख्या 728/2018 में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(आर0 मुखोपाध्याय, न्याया0)